न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 43/2017

निर्णय दिनांकः– 17/07/2017

1. बाबू खां पुत्र श्री भूरे खां जाति मुसलमान निवासी आजनोटा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. रमजान खां पुत्र कासिम खां उर्फ कासम खां जाति मुसलमान निवासी आजनोटा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. अब्दूल गफार खां पुत्र कासिम खां उर्फ कासम खां जाति मुसलमान निवासी आजनोटा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।
4. नायब तहसीलदार/उपपजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
5. प्रबन्धक महोदय एस0बी0आई बैंक शाखा फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 17.07.2017

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है आराजी ख0न0 39, 42, 220, 321, 361, 366, 511/832, 663, 712, 722, 764 कुल किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम आजनोटा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी एवं 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मौके पर विभाजन कर रखा है तथा विभाजन शुदा आराजीयात को कृर्षि कार्य को लेकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में नक्शे में विभाजन नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आये दिन ही मेर कोर को तोडते रहते है। तथा उलाहना देने पर ऐलानिया धमकी देते है कि विभाजन नही हो रखा है हम चाहेगे वहां कब्जा करेगे। प्रार्थी जो पेशेवर काश्तकार है तथा अपनी भूमि को काफी विकसित कर लिया है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 प्रार्थी की आराजीयात पर काबिज होना चाहते है तथा विभाजन रिकार्ड में नही होने से विक्रय करने को प्रयासरत है जिस पर प्रार्थी ने अभी हाल ही में न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम में विभाजन करवाने की नेक सलाह दी लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने विभाजन करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया साथ ही प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि हम हमारी खातेदारी भूमि को विक्रय कर तुम्हे बेदखल करके ही दम लेगे। अभी हाल ही में दिनांक 01.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को समझाने का अथक प्रयास किया कि

विभाजन करवाकर आप विक्रय करे या निर्माण करे तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है लेकिन अप्रार्थी बाज नही आये बल्कि विभाजन करवाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे उपरोक्त नापाक मन्सूबो में कामयाब हो जायेगे जिससे प्रार्थी द्वारा वाद पेश किये जाने की मंशा ही फौत हो जायेगी ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना अंसभव होगा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से इकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जो शामिल मिसल किया तथा जबाब में बताया की उपरोक्त मिनउत्तरदातागण द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर चाही गई अनुतोष सारहीन है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070 – 2073 वाके ग्राम आजनोट के अनुसार नामान्तकरण संख्या 747 दिनांक 21.05.2014 को विवादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विरासत व हकत्याग से प्राप्त हुई। तथा प्रार्थी ने अन्य कोई ऐसा दस्तावेज पेश नही किया है कि जिस से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को स्थगन आदेश से पूर्ण रूप से पाबन्द किया जा सकें। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आशिंक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आशिंक इस हद तक स्वीकार किया जाता है विवादग्रस्त आराजी मौके की कब्जा स्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के शेष समस्त अनुतोष खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद हमफिता रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर